

प्रेस नोटथाना- जीयनपुर2 किलो 200 ग्राम गाँजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में दिनांक 07.02.2021 को उ०नि० अखिलेश चन्द्र पाण्डेय मय हमराह के समय 23.10 बजे थाने से देखभाल क्षेत्र रात्रि गस्त, तलाश वाछित वारन्टी कस्बा जीयनपुर में मामूर थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति मुबारक पुर मोड़ पर खडा है जिसके पास सफेद झोले में गाँजा है जो कही जाने के फिराक मे साधन का इन्तजार कर रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके उ०नि० मय हमराहियान मय मुखविर के अपने आप को छिपते छिपाते हुए मुबारकपुर मोड़ के पास पहुचे। मुखविर खास दुर से ही इशारा करके हट बढ़ गया कि उ०नि० मय हमराहियान के एक बारगी घर घर कर खड़े हुए व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व० कालीचरण नि० बासूपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बताया तथा हाथ मे लिये झोले के बारे में पूछने पर बताया कि साहब इस झोले मे गाँजा है जिसको बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन करता हूँ। उसके दाहिने हाथ से सफेद झोले को खोलकर देखा गया तो झोले के अन्दर गाँजा भरा है। मौके पर बाजार से का० संजय कुमार को भेजकर इलेक्ट्रानिक तराजू मगाकर तौला गया तो गाजा की मात्रा 2.00 Kg 200g बरामद हुआ। अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार उपरोक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 8/20 NDPS Act का दण्डनीय अपराध है अतः कारण गिरफ्तारी बताकर वाजाप्ता बाकायदा समय 03.45 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 45/2021 अंतर्गत धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 45/2021 अंतर्गत धारा 8/20 NDPS Act थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व० कालीचरण उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम बासूपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी

2 किलो 200 ग्राम गाँजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० अखिलेशचन्द्र पाण्डेय थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।
2. का० चित्रसेन सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।
3. का० संजय कुमार थाना जीयनपुर आजमगढ़